क्षेत्र

अपैल्स, मेडअप्स
और
होम फर्निशिंग

कक्षा

9वीं एवं 10वीं

सूइंग (सिलाई) मशीन ऑपरेटर

योग्यता पैकः रेफ. आई.डी. : ए.एम.एच./क्यू0301

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

पं.सु.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई, के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार), श्यालता हिल्स, भोपाल – 462002 (म.प्र.)
www.psscive.ac.in

व्यावसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी), अनौपचारिक और गैर–औपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। वीईटी विभिन्न टार्गेट ग्रुप्स और शिक्षार्थियों की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों में से केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (एमओई) कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार किए गए वीईटी प्रावधान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जन शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल आकांक्षाओं और शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए स्कूल जरूरी वातावरण प्रदान करते हैं। स्कूली शिक्षा आधारित व्यावसायिक ज्ञान विभिन्न नौकरियों की एन्ट्री–लेवल (प्रवेशात्मक स्तर) जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न सैद्धांतिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है। इनका उद्देश्य छात्रों के उन मूलभूत ज्ञान, कौशल एवं स्वभावगत विशेषताओं का विकास करना हैं जो उन्हें स्किल्ड पशेवर या व्यवसायी बनने में सहायता करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा (स्कूली शिक्षा की एक इन्टीग्रेटेड शिक्षा) के अंतर्गत लागू किया गया है।

श्रम बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने और कुशल जनशक्ति के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के लिए मान्यता प्राप्त है। वीईटी विशिष्ट जॉब रोल्स पर केंद्रित है और इस तरह का व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त करता है। यह न केवल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है।

व्यावसायिक विषयों को 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की संशोधित योजना के तहत पेश किया गया था। इसमें ग्रेड 9 से 12 (4 वर्षीय पैटर्न) में एक जॉबलरोल को पढ़ाया गया था। इस योजना को 2018 में समग्र शिखा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ समग्र शिक्षा में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (एनईपी–2020) में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी–2020 में उचित सामाजिक स्थिति प्रदान करने और सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना (री–इमेजिंग) की गई है।

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग (एएमएचएफ) सेक्टर के बारे

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह विभिन्न तैयार उत्पादों का कच्चे माल से उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में डिजाइनिंग, पैटर्न, कटिंग, सिलाई, परिधान, मेड–अप और होम फर्निशिंग आइटम की फिनिशिंग और सजावट से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

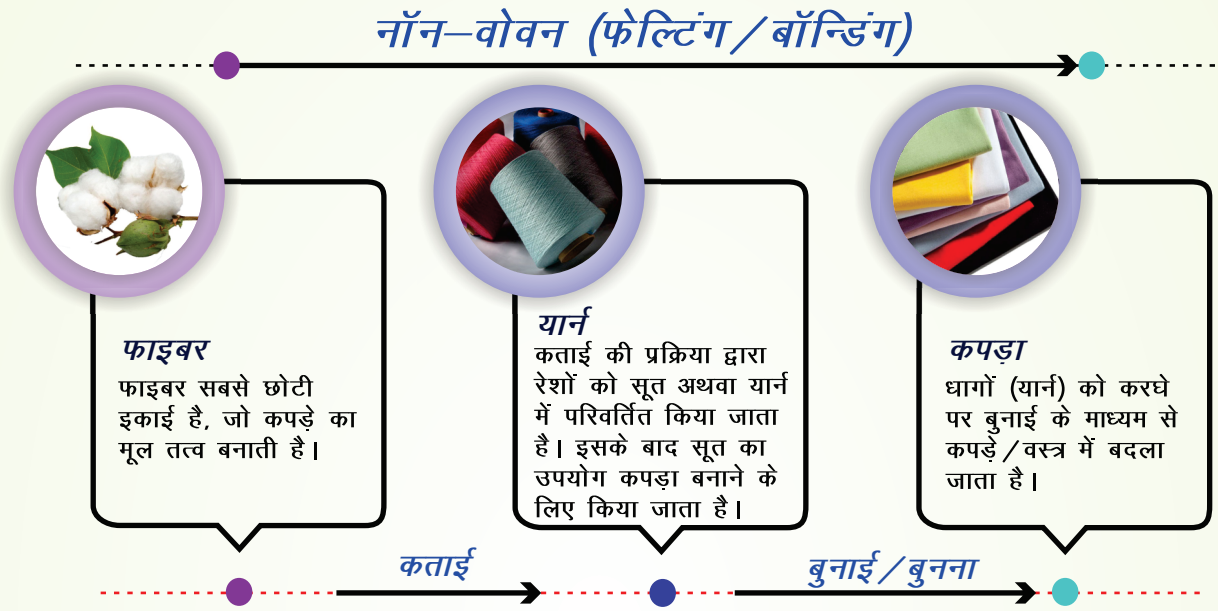

वस्त्र/परिधान उत्पाद विकास योजना के चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निष्पादन होता है।

- नियोजन में डिजाइनिंग, लक्ष्य ग्राहक की पहचान, लागत अनुमान आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- निष्पादन में काटना, सिलाई, फिनिशिंग, पैकिंग आदि शामिल हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- उत्पादों में परिधान, मेड–अप, होम फर्निशिंग और सामान शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

टॅक्सटाइल व अपैरल उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। भारत न केवल कपास, जूट व सिल्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है बल्कि इस उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार देने की भी क्षमता है। इन उद्योगों में लगने वाले मैन पावर की ट्रेनिंग एएमएचएफ सेक्टर के विभिन्न जॉब रोल्स के माध्यम से की जाती है।

उपर्युक्त चित्र भारत के विकास में एएमएचएफ क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। एएमएचएफ ने न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान दिया है, बल्कि निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। यह क्षेत्र देश में रोजगार सृजन में युवाओं के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

परिधान उद्योग के घटक

एएमएचएफ क्षेत्र को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है:

- फाइबर टू फैब्रिक (कपड़ा उद्योग)
- फैब्रिक टू प्रोडक्ट (परिधान उद्योग)

एएमएचएफ क्षेत्र में कपड़ा उद्योग में फाइबर को धागे या कपड़े (नॉन वोवन) और धागे को कपड़े (वॉवन/निटेड कपड़ा) में बदलना शामिल है। कपड़े को रंगाई, छपाई, कढ़ाई, अलंकरण और परिष्करण तकनीकी का उपयोग करके सुंदर बनाया जाता है।

उपर्युक्त तरीके से कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा उद्योग में इस कपड़े से तैयार परिधान, होम फर्निशिंग वस्तुऐं और एसेसरीस आदि बनाए जाते हैं।

एएमएचएफ से जुड़े अन्य उद्योग हैं:

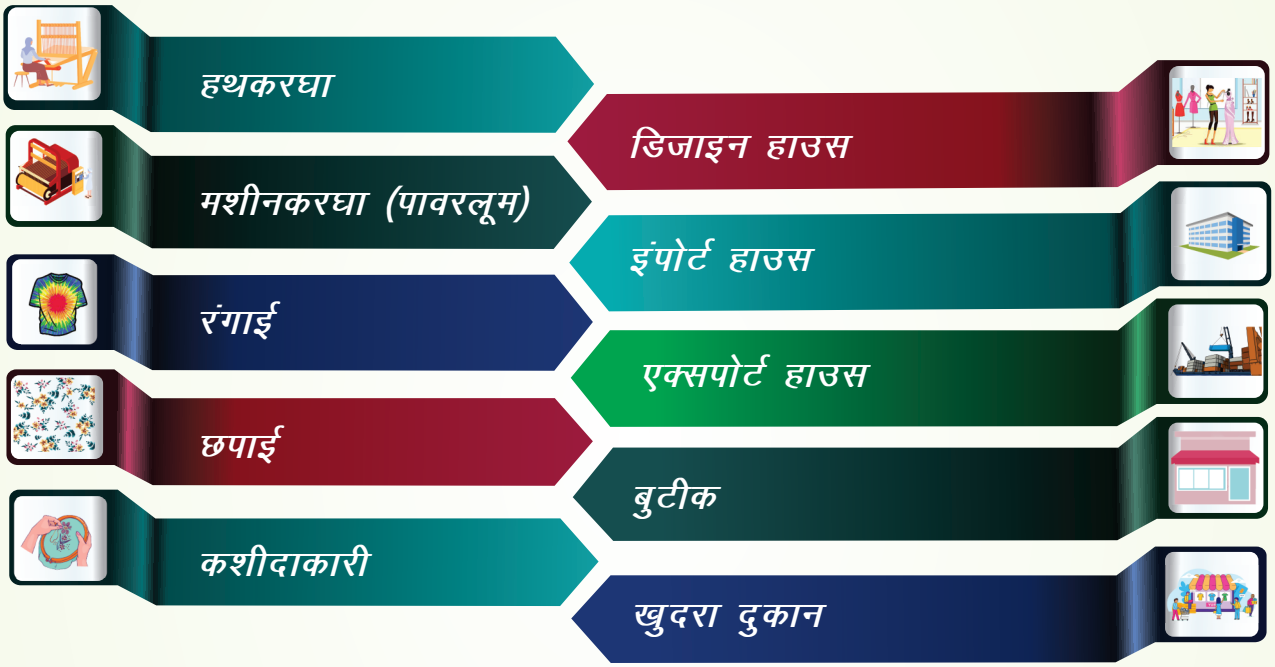

परिधान उद्योग बहुत ही विस्तृत है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। यह एक डिजाइन विचार से शुरू होता है और परिधान तैयार होकर ग्राहक तक पहुंचने पर खत्म होता है। ये प्रक्रियाएं एक परिधान उद्योग के विभिन्न विभागों द्वारा पूरी की जाती हैं। प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और सभी विभागों का उद्देश्य उचित लागत और समय के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना होता है। विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं–

- मर्चेंडाइजिंग विभाग
- स्टोर विभाग
- कटिंग विभाग
- सिलाई विभाग
- धुलाई विभाग
- परिष्करण और पैकिंग विभाग
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- रखरखाव विभाग
- वित्त और लेखा विभाग
- प्रशासन विभाग

जॉब रोल के बारे में

अपैरल मेड–अप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र में विभिन्न जॉब रोल हैं जिन्हें कोई भी अपने पेशे के रूप में चुन सकता है और अपने कौशल को बढ़ा सकता है। यह क्षेत्र उभरते उम्मीदवारों को नौकरी के कई अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें परिधान उद्योग से संबंधित सभी नौकरियां जैसे पैटर्न मास्टर, स्व–नियोजित दर्जी, हाथ कढ़ाई आदि और स्व–स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय जैसे कढ़ाई इकाई, बुटीक, डिजाइन स्टूडियो आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा एपेरल, मेड–अप और होम फर्निशिंग सेक्टर के तहत जॉब रोल निम्नानुसार हैं:

01	फेब्रिक चेकर
02	इन-लाइन चेकर
03	लेयरमैन
04	माप परीक्षक
05	प्रेसमैन
06	सिलाई मशीन ऑपरेटर
07	कढ़ाई मशीन ऑपरेटर (जिगजैग मशीन)
08	निर्यात सहायक
09	फ्रेमर- कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई मशीन
10	गारमेंट कटर (सीएएम)
11	हाथ की कढ़ाई
12	गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता
13	नमूना करण दर्जी
14	एडवांस पैटर्न मेकर (सीएडी/सीएएम)
15	फेशन डिजाइनर
16	क्यूसी कार्यकारी- सिलाई लाइन
17	मर्चेंडाइजर
18	मशीन रखरखाव मैकेनिक (सिलाई मशीन)
19	निर्यात कार्यकारी
20	निर्यात प्रबंधक
21	सैंपल कोऑर्डिनेटर
22	औद्योगिक अभियंता (आईई) कार्यकारी
23	उत्पादन पर्यवेक्षक सिलाई
24	फैक्टरी अनुपालन लेखा परीक्षक
25	विशेष सिलाई मशीन ऑपरेटर
26	सहायक डिजाइनर- होम फर्निशिंग
27	सहायक डिजाइनर- मेडअप्स
28	सहायक फैशन डिजाइनर
29	बुटीक प्रबंधक
30	कटिंग सुपरवाइजर
31	फेब्रिक कटर-(परिधान निर्मित अप और होम फर्निशिंग)
32	फिनिशर
33	हाथ की कढ़ाई (अड्डावाला)
34	लाइन पर्यवेक्षक सिलाई
35	मर्चेंडाइजर-मेड-अप और होम फर्निशिंग
36	ऑनलाइन नमूना डिजाइनर
37	पैकर
38	पैटर्न मास्टर
39	प्रसंस्करण पर्यवेक्षक (रंगाई और मुद्रण)
40	रिकॉर्ड कीपर
41	स्व-नियोजित दर्जी
42	सिलाई मशीन ऑपरेटर (बुना हुआ)
43	सोर्सिंग मैनेजर
44	स्टोर कीपर
45	वाशिंग मशीन ऑपरेटर

सिलाई मशीन ऑपरेटर इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जॉब रोल में से एक है। सिलाई मशीन के संचालन में सिलाई मशीन का उपयोग करके कपड़ों के विभिन्न घटकों को एक साथ सिलना शामिल है। सिलाई मशीन ऑपरेटर की भूमिका उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता हैं। एक सिलाई मशीन ऑपरेटर, जिसे 'स्टिचर या मशीनिस्ट' भी कहा जाता है। परिधान क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। अधिकांश सिलाई कार्य विशेष होते है और ऑपरेटर को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

सिलाई मशीन ऑपरेटर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

सिलाई मशीन ऑपरेटर के पास विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीन चलाने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए। ऑपरेटर को सिलाई मशीन और उसके पुर्जों के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी होना चाहिए।

परिधान बनाने के लिए कपड़े या किसी अन्य सामग्री को सिलना

डिजाइन के अनुसार विभिन्न प्रकार की मशीनों पर काम करना

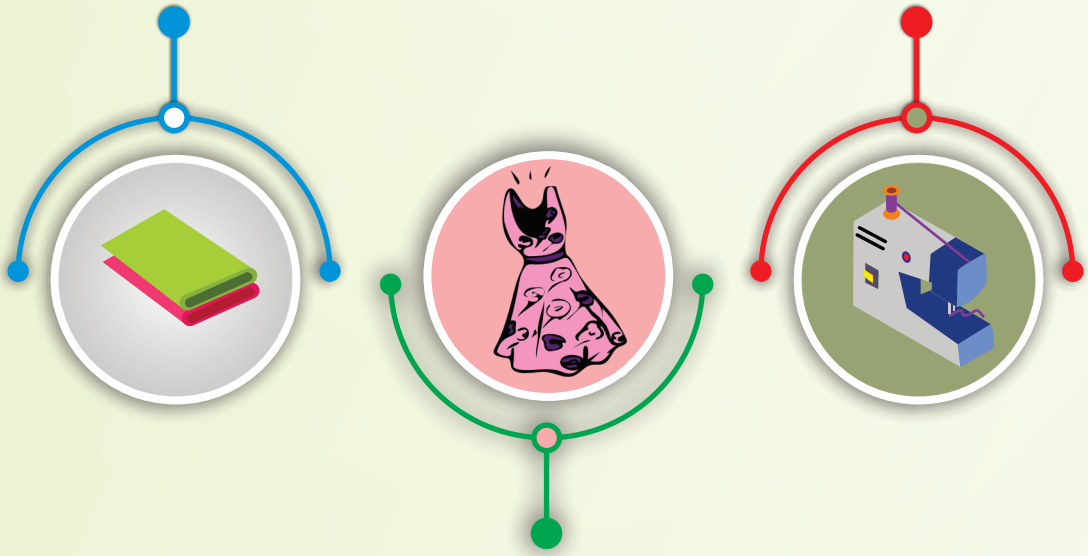

परिधान निर्माण तकनीकों को समझना

कक्षा–9वीं

9वीं और 10वीं कक्षा में नौकरी का प्रस्ताव रखा जा रहा है। कक्षा 9वीं के छात्र की पाठ्यपुस्तक की सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं:

इकाई–1 सिलाई मशीन का परिचय :

यहाँ मुख्य केन्द्र सिलाई मशीन, उनके वर्गीकरण और तकनीकी शब्दावली पर हैं। छात्रों को मशीन के विभिन्न भागों और विभिन्न कार्यों से भी परिचित कराया जाएगा।

इकाई–2 सिलाई उपकरण और एस.एम.ओ. :

एक सिलाई मशीन ऑपरेटर को सिलाई से पहले तैयारी करना आना चाहिए। उसे सिलाई की सुई ठीक करने, थ्रेडिंग करने, धागे के तनाव को समायोजित करने, टाँके बनाने की जाँच आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलाई मशीन के संचालन का भी इस इकाई के अंतर्गत वर्णन किया गया है।

इकाई–3 परिधान निर्माण के आधारभूत सिद्धांत :

परिधान निर्माण एक तकनीकी उपलब्धि हैं, जिसके लिए बुनियादी सिलाई तकनीकों के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती हैं। इसलिए छात्र सिलाई, सीम, डार्ट, गैदर, प्लीट्स और एज फिनिशिंग आदि के प्रकार और अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे, जिनकी परिधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं।

इकाई–4 सिलाई मशीन की देखभाल और रखरखाव :

यहाँ छात्र एक सिलाई मशीन की देखभाल और रखरखाव के बारे में जानेंगे जिससे इसके काम को बेहतर बनाने में मदद मिलती हैं। इसमें मुख्य रूप से सफाई, ऑइलींग करना और सही हैंडलिंग शामिल है, जो अच्छे उत्पादन गुणवत्ता, और कर्मचारियों की सुरक्षा में योगदान देता है। इस इकाई में सिलाई मशीन की समस्या और इसकी की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गई है।

इकाई–5 उद्योग में खतरे और सुरक्षा के उपाय

परिधान उद्योग में सिलाई मशीन ऑपरेटर विभिन्न प्रकार की मशीनरी का उपयोग करता है। ऐसे में इन्हें संचालन करते समय सुरक्षा और स्वास्थ्य उपयों के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। यहाँ छात्र कुशल सुरक्षा उपायों के बारे में भी सिखेंगे।

कक्षा–10वीं

कक्षा 10वीं के छात्र की पाठ्यपुस्तक की सामग्री में निम्नलिखित इकाई शामिल हैं:

इकाई 1

परिधान निर्माण की मूल बातें:

यहाँ छात्र परिधान निर्माण में उपयोग की जाने वाली शब्दावली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यहां कपड़ो की सिलाई करते समय विभिन्न प्रकार की सिलाई, उनके निर्माण और उनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे।

इकाई 2

कपड़ों की सिलाई:

यह इकाई निर्माण के साथ घटकों के प्रकार की व्याख्या करती है, ताकि छात्र उन्हें आसानी से सिल सके। किसी परिधान को अलंकृत और आकर्षक बनाने के लिए उसमें घटक जोड़े जाते हैं। विभिन्न परिधान के घटक नेकलाइन, कॉलर, आस्तीन, जेब, कफ और बेल्ट हैं। साथ ही प्लीट्स, गैदर्स, डार्ट, फ्रिल्स के निर्माण के बारे में बताया गया हैं।

इकाई 3

गारमेंट्स के फास्टनर:

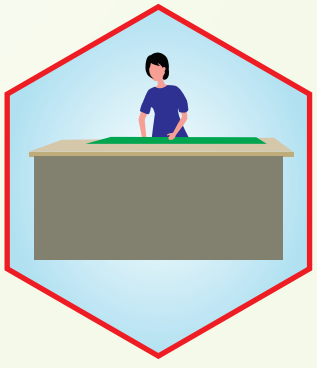

यहाँ छात्र गारमेंट के फास्टनरों के बारे में जानेंगे। फास्टनर, एक प्रकार का क्लोजर होता है जो परिधान निर्माण करते समय उपयोग किया जाता है। बाजार में बटन, ज़िपर, स्नैप, हुक और आई जैसे विभिन्न प्रकार के फास्टनर आसानी से उपलब्ध हैं। इस इकाई में कुछ बेसिक फास्टनरों की सिलाई तकनीक की भी व्याख्या की गयी हैं।

इकाई 4

कार्यस्थल पर सफाई, भंडारण, अपशिष्ट व्यवस्था, संगठनात्मक नियम और विनियमः

यहाँ छात्र कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानेंगे। जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि के लिए गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और रसायनों का सुरक्षित उपयोग शामिल हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग प्रबंधन प्रक्रियाओं के दौरान प्रक्रियों द्वारा जो कचरा निकलता है उसके बारे में भी जानेंगे। इस इकाई में छात्र संगठनात्मक नीतियों, उद्देश्य, लाभ और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे।

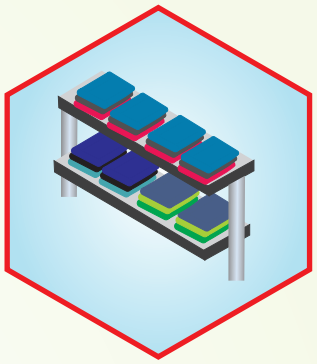

इकाई 5

परिधान उद्योग में जॉब कार्ड का परिचयः

यहाँ छात्र जॉब कार्ड के बारे में सीखेंगे जो उत्पादन नियंत्रण की एक विधि हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करना और योजना बनाना आसान हो जाता हैं। ऑपरेटरों के लिए जॉब कार्ड पर उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रीयों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसमें विनिर्देश पत्र पढ़ना और विशेष रूप से एक सिलाई मशीन ऑपरेटर के लिए विभिन्न कर्मचारियों से अपेक्षित कार्य को समझना महत्वपूर्ण हैं।

पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद निम्न रोजगार के विकल्प हो सकते हैः

विकास

सिलाई मशीन ऑपरेटर की व्यवसाय की भूमिका के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास हो सकता हैं:

- विशेष सिलाई मशीन ऑपरेटर
- प्रधान दर्जी
- पैटर्न मास्टर
- इनलाइन सुपरवाइजर
- सुपरवाइजर
- प्रशिक्षक (ट्रेनर)
- शासकीय एवं अशासकीय कुशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षक (ट्रेनर)
- सरकारी और निजी एक्सपोर्ट/बांइग/डिजाइन हाउस में सैंपलिंग या उत्पादन दर्जी
- सरकारी और निजी क्षेत्र में सिलाई/सैंपलिंग विभाग में सैंपलिंग या उत्पादन दर्जी

- सिलाई मशीन ऑपरेटर

कार्य के प्रशिक्षण

- शासकीय एवं अशासकीय कुशल प्रशिक्षण केन्द्र
- सरकारी और निजी एक्सपोर्ट/बाइंग/डिजाइन हाउस
- परिधान क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय उद्योग में सिलाई/सैंपलिंग विभाग

PSSCIVE के बारे में

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत [पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.)], भारत सरकार द्वारा 1993 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की एक घटक इकाई है। यह भारत में यू.एन.ई.वी.ओ.सी. (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना) का नेटवर्क केंद्र भी है। संस्थान के पास विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए विभागों के साथ 35–एकड़ में बना हुआ परिसर है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल विज्ञान, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन और मानविकी विज्ञान, की शिक्षा और अनुसंधान का कार्य होता हैं।

संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता–प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च योग्य प्रशिक्षकों की टीम हैं, जो कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट पेशेवर कौशल और अनुभव रखते हैं।

संस्थान ने व्यावसायिक शिक्षा में तेजी से विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, उद्योग की बदलती जरूरतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और कई बार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए है। पिछले 25 वर्षों में संस्थान के विकास ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया हैं, लेकिन ये नए क्षितिज का पता लगाने और स्थानीय और वैश्विक कैनवास पर लोगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को फिर से तैयार करने की संभावनाओं एवं अवसरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

संयुक्त निदेशक
पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्यप्रदेश, भारत
फो.: +91 755 2660691 | फेक्स: +91 755 2927347, 2660580
ईमेल : jd@psscive.ac.in
www.psscive.ac.in | www.ncert2021.psscive.in